



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102020-222391
CG-DL-E-13102020-222391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3145]
No. 3145]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3557(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, 1956 (1956 का 48) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार, संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के निर्माण के लिए आवश्यक है (कर्नाटक राज्य में उडुपी के जिले में Km.66.900 से Km 67.400 (थिरथाहल्ली - उडुपी खंड) तक भूमि के खिंचाव में राष्ट्रीय राजमार्गों 169A का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन (चौड़ीकरण / चार लेन आदि)। ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने का इरादा है।

आधिकारिक गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 3 सी की उपधारा (1) के तहत पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति करेगा। अधिनियम कहा।

इस तरह की हर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग, बेंगलूर को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधार को निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी को आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। व्यक्ति या एक कानूनी व्यवसायी द्वारा, और हो सकता है, इस तरह की सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और इस तरह की आगे की पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों की अनुमति दें या अस्वीकार करें।

उक्त अधिनियम की धारा 3 सी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

उनकी अधिसूचना के तहत अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

अनुसूची

संक्षिप्त रूप में भूमि के विस्तार के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण Km.66.900 से Km.67.400 (थिरथाहल्ली - उडुपी खंड) राष्ट्रीय राजमार्ग -169 ए के मध्य कर्नाटक राज्य में

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: उडुपी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: उडुपी					
गांव का नाम: बोम्मरबट्ट					
1	18/20	निजी	ड्राई	718.3000000(वर्ग मीटर)	0.0718300
कुल				718.3000	0.0718

[फा. सं. 12037/3/2017-KNT(P-6)/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2020

S.O. 3557(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways 169A in the stretch of land from Km.66.900 to Km 67.400 (Thirthahalli - Udupi section) in the district of UDUPI in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer & Competent Authority, National Highways, Bangalore in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.66.900 to Km.67.400 (Thirthahalli - Udupi section) of National Highways-169A in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: UDUPI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Udupi					
Village: Bommarabettu					
1	18/20	Private	Dry	718.3000000(Square Meter)	0.0718300
Total				718.3000	0.0718

[F. No. 12037/3/2017-KNT(P-6)/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.